भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 1599

उत्तर देने की तारीख :28.07.2026

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

1599. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण में चिन्हित उन स्वच्छता कर्मचारियों और हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्हें 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत अभी तक पूर्ण पुनर्वास लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) वर्ष 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मौतों की दर्ज संख्या कितनी है और प्रभावित परिवारों को वास्तव में वितरित किए गए मुआवजे का उत्तर प्रदेश सहित राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मशीनीकरण के अधिदेश (अनिवार्यता) का उल्लंघन करते पाए गए ठेकेदारों या स्थानीय निकायों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को वेतन का भुगतान न करने, सुरक्षा उपकरण देने से इनकार करने और जाति आधारित भेदभाव के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और जिला-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) शुरू की गई है। तत्कालीन 'हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए पूर्व स्वरोजगार योजना' (एसआरएमएस) के घटकों को नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है। 2024-25 में कचरा बीनने वालों को नमस्ते योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में जोड़ा गया है। 20.07.2026 तक नमस्ते योजना में सत्यापित किए गए एसएसडब्ल्यू और कचरा बीनने वालों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

हाल ही में, देश के सभी जिलों में "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वालों का एक नया

सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला नहीं पाया गया है। हालांकि, 2013 और 2018 में किए गए दो सर्वेक्षणों के दौरान 58,098 हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 32,473 लोग शामिल थे। पहचाने गए 58,098 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को दिए गए लाभ (एकमुश्त नकद सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी) का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.01.2017 से 30.06.2026 तक उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों और मृत सफाई कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को दिए गए मुआवजे का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है। 01.01.2017 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों और मृत सफाई कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को दिए गए मुआवजे का जिलावार विवरण **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। मशीनीकरण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ठेकेदारों या नागरिक निकायों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ): एनसीएसके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वेतन का भुगतान न होने, सुरक्षा उपकरण न मिलने और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में 842 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 130 शिकायतें भी शामिल हैं। वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **संलग्नक V** में दी गई है। वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश से जिलावार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या **संलग्नक VI** में दी गई है।

संलग्नक-I

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

20.07.2026 तक, नमस्ते योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार सत्यापित किए गए सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) और कचरा बीनने वालों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सत्यापित किए गए एसएसडब्ल्यू	सत्यापित किए गए कचरा बीनने वाले
1.	अंडमान और निकोबार	60	1124
2.	आंध्र प्रदेश	4052	15261
3.	अरुणाचल प्रदेश	86	264
4.	असम	466	5052
5.	बिहार	3462	11466
6.	चंडीगढ़	253	789
7.	छत्तीसगढ	1465	6718
8.	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	116	12
9.	दिल्ली	3649	13495
10.	गोवा	250	1561
11.	गुजरात	7648	6840
12.	हरियाणा	2677	3992
13.	हिमाचल प्रदेश	435	1473
14.	जम्मू-कश्मीर	727	4507
15.	झारखंड	1115	2158
16.	कर्नाटक	6312	10686
17.	केरल	1797	13098
18.	लद्दाख	21	1
19.	लक्षद्वीप	86	-
20.	मध्य प्रदेश	3836	9906
21.	महाराष्ट्र	8782	57115
22.	मणिपुर	185	475
23.	मेघालय	108	671
24.	मिजोरम	143	67
25.	नागालैंड	105	921
26.	ओडिशा	1294	7311
27.	पुदुचेरी	243	1379
28.	पंजाब	4465	3765
29.	राजस्थान	4082	7584
30.	सिक्किम	107	287
31.	तमिलनाडु	6981	34858
32.	तेलंगाना	3817	4062
33.	त्रिपुरा	353	1861
34.	उत्तर प्रदेश	12463	44337
35.	उत्तराखंड	644	1888
36.	पश्चिम बंगाल	7630	10181
	कुल	**89915**	**285165**

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक- II

उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार पहचाने गए 58,098 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को दिए गए लाभ (एकमुश्त नकद सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी) इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	राज्य	पहचाने गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की कुल संख्या	एकमुश्त नकद सहायता	कौशल विकास प्रशिक्षण	सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	1793	1793	252	-
2	असम	3921	3921	658	9
3	बिहार	131	131	18	-
4	छत्तीसगढ	3	3	-	-
5	गुजरात	105	105	19	-
6	झारखंड	192	192	34	-
7	कर्नाटक	2927	2927	666	861
8	केरल	518	518	326	-
9	मध्य प्रदेश	510	510	243	-
10	महाराष्ट्र	6325	6325	1904	72
11	ओडिशा	230	230	66	83
12	पंजाब	231	231	62	46
13	राजस्थान	2673	2673	2174	46
14	तमिलनाडु	398	398	29	78
15	उत्तर प्रदेश	32473	32473	18289	970
16	उत्तराखंड	4988	4988	2939	96
17	पश्चिम बंगाल	680	680	247	542
कुल		**58098**	**58098**	**27926**	**2803**

संलग्नक-III

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-III

01.01.2017 से 30.06.2026 तक उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों और मृत सफाई कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को दिए गए मुआवजे का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतों की संख्या	पूर्ण मुआवजे का भुगतान किया गया	आंशिक मुआवजे का भुगतान किया गया
1	बिहार	4	4	-
2	चंडीगढ़	3	3	-
3	छत्तीसगढ	5	5	-
4	दादरा और नगर हवेली	3	3	-
5	दिल्ली	65	55	-
6	गोवा	1	1	-
7	गुजरात	75	72	-
8	हरियाणा	78	55	8
9	झारखंड	1	1	-
10	कर्नाटक	28	27	-
11	केरल	1	1	-
12	मध्य प्रदेश	16	13	1
13	महाराष्ट्र	87	68	5
14	ओडिशा	2	2	1
15	पंजाब	25	24	-
16	राजस्थान	36	36	-
17	तमिलनाडु	77	74	-
18	तेलंगाना	14	13	1
19	उत्तर प्रदेश	88	70	4
20	उत्तराखंड	3	3	-
21	पश्चिम बंगाल	25	21	3
कुल		**637**	**551**	**23**

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक- IV

01.01.2017 से 30.06.2026 तक उत्तर प्रदेश में जिले-वार सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों और मृत सफाई कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को दिए गए मुआवजे का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	मौतों की संख्या	पूर्ण मुआवजे का भुगतान किया गया	आंशिक मुआवजे का भुगतान किया गया
1	आगरा	5	3	1
2	अंबेडकर नगर	2	-	-
3	चंदौली	4	-	-
4	गौतम बुद्ध नगर	16	8	2
5	गाजियाबाद	18	18	-
6	गाजीपुर	2	2	-
7	जालौन	1	1	-
8	कानपुर	6	6	-
9	पीलीभीत	1	1	-
10	लखनऊ	9	8	-
11	मथुरा	6	6	-
12	रायबरेली	2	2	-
13	सीतापुर	6	6	-
14	सुल्तानपुर	1	1	-
15	साहिबाबाद	2	2	-
16	वाराणसी	7	6	1
कुल		**88**	**70**	**4**

संलग्नक- V

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक- V

वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	30
2	असम	10
3	बिहार	27
4	चंडीगढ़	30
5	छत्तीसगढ	25
6	दिल्ली	140
7	गोवा	2
8	गुजरात	28
9	हरियाणा	22
10	हिमाचल प्रदेश	17
11	झारखंड	15
12	कर्नाटक	10
13	केरल	1
14	महाराष्ट्र	95
15	मध्य प्रदेश	30
16	ओडिशा	17
17	पुदुचेरी	11
18	पंजाब	25
19	राजस्थान	45
20	तमिलनाडु	41
21	तेलंगाना	33
22	उत्तराखंड	18
23	उत्तर प्रदेश	130
24	पश्चिम बंगाल	40
कुल		**842**

संलग्नक-VI

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599, जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-VI

2025 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिले-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	जिलों के नाम	शिकायतों की संख्या
1	आगरा	3
2	अलीगढ़	4
3	प्रयागराज	3
4	अम्बेडकर नगर	1
5	आजमगढ़	2
6	बागपत	2
7	बांदा	2
8	बाराबंकी	1
9	बरेली	3
10	बिजनौर	4
11	बदायूं	4
12	बुलंदशहर	4
13	एटा	3
14	इटावा	2
15	फतेहपुर	1
16	फिरोजाबाद	2
17	गौतम बुद्ध नगर	16
18	गाजियाबाद	8
19	हमीरपुर	1
20	हापुड़	6
21	हरदोई	1
22	हाथरस	3
23	जौनपुर	3
24	झांसी	2
25	कन्नौज	1
26	कानपुर देहात	4
27	कानपुर नगर	5
28	कौशाम्बी	2
29	लखीमपुर खीरी	4
30	लखनऊ	6
31	मथुरा	3
32	मेरठ	5
33	मुरादाबाद	3
34	मुजफ्फरनगर	4
35	पीलीभीत	3
36	संभल	1
37	शामली	2
38	सीतापुर	4
39	वाराणसी	2
	कुल	**130**
